संख्या-14/2017/451/30-3-17-03बी/2015

प्रेषक,

सीताराम यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 31 मार्च, 2017

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित संभागीय परिवहन कार्यालय-फैजाबाद के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रू0 6.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-452ए/2016-67ए/2016, दिनॉक 15-02-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित संभागीय परिवहन कार्यालय-फैजाबाद के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोपरान्त रू0 6.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-16-संभागीय परिवहन कार्यालय गौतमबुद्धनगर में भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख को आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-4059 के मानक मद-18- संभागीय परिवहन कार्यालय-फैजाबाद के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद में शासनादेश संख्या-आर0आई0/721/ई-9-यू0ओ0-83/दस-2017 दिनॉक 30-03-2017 द्वारा संक्रमित धनराशि से रू० 06.98 लाख (रू0 छः लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, से परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) उक्त कार्य में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त कार्य के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 का होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 का होगा।

(6) उक्त कार्य समयान्तर्गत कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-18-संभागीय परिवहन कार्यालय फैजाबाद में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

संख्या-14/2017/451(1)/30-3-2017, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, बायां तट, गोमतीनगर, लखनऊ ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in